न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल0आर0ए0 संख्या 201/2020 जिला टोंक

दिनेश कुमार पुत्र हरिनारायण कोम ब्राहम्ण साकिन खण्डवा तहसील निवाई जिला टोंक।
—अपीलांट

बनाम्

सरकार जरिये तहसीलदार निवाई जिला टोंक
—रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक दिनांक 09.06.2010

उपस्थित अभिभाषकः—श्री सीताराम विजय(अपीलांट अभि0)
राजकीय अभिभाषकः—उपस्थित

निर्णय दिनांकः—16.12.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट दिनेश कुमार पुत्र हरिनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी खण्डवा तहसील निवाई को भू—आवंटन सलाहकार समिति द्वारा संवत 2039 दिनांक 08.12.1983 ग्राम खण्डवा में खसरा नम्बर 248 में से 4 बीघा भूमि आवंटित की गई थी। अपीलांट द्वारा आवंटन शर्तों की पालना न किये जाने पर तहसीलदार निवाई द्वारा आवंटन निरस्तीकरण हेतु एक प्रार्थना पत्र नियम 14(4) एल0आर0एक्ट 1956 के तहत प्रार्थना पत्र संख्या 28/2009 से प्रकरण जिला कलक्टर न्यायालय टोंक में दर्ज करवाया था। उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद जिला कलक्टर टोंक द्वारा दिनांक 09.06.2010 को अपीलांट के पक्ष में किये गये भूमि आवंटन को निरस्त कर दिया गया। इस बात से व्यथित होकर वर्तमान अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई है—

1. निर्णय से पूर्व अपीलांट को नोटिस नहीं दिया गया। वह अपने भाई से अलग रहता है। नोटिस विधिवत तामील नहीं हुआ है।

2. अपीलांट को कोई सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया गया है।

3. आवंटन की गई भूमि पर उसके द्वारा काफी व्यय किया जाकर भूमि को उपजाउ बनाया गया तथा 24 वर्ष पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाये।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 05.08.2016 को पटवारी द्वारा बताये जाने पर उसे निर्णय की जानकारी हुई। दिनांक 09.06.2016 को नकल प्राप्त हुई। उसके तुरंत बाद अपील प्रस्तुत की गई है। देरी को क्षमा किया जावें। उक्त अपील उस समय दिनांक 10.08.2016 को न्यायालय आरएए टोंक में दर्ज करवायी गई [illegible]। जिसे उसके द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को नोटिस जारी किये गये थे। [illegible] ग्रुप–6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.06.2019 के अनुसार उक्त पत्रावली [illegible] हाजा को स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:56 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि आवंटन निरस्तीकरण की जानकारी उसे पटवारी से प्राप्त हुई। नकल प्राप्त करने के बाद दिनांक 10.08.2016 को अपील प्रस्तुत कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही के दौरान विधिवत तामील नहीं हुई। प्राकृतिक न्याय की अवहेलना की गई। गिरदावरी से काश्त स्पष्ट है। पुराने आवंटन को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए।

बहस में राजकीय अभिभाषक ने बताया कि आवंटन नियम 1970 की पालना नहीं की गई। मेंण्डेटरी अवधि में अपीलांट द्वारा काश्त नहीं की गई।

रिब्युटल में वकील अपीलांट ने बताया कि खसरा गिरदावरी में काश्त दर्ज है। बारानी भूमि में काश्त आवश्यक नहीं है। उन्होने सन् 2007 आरआरटी पेज 1430 तथा 2016 आरआरटी पेज 689 के न्यायिक दृष्टांत बाबत कथन किये।

पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। बहस बिन्दुओं पर मनन किया गया। सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के संबंध में अपीलांट को निर्णय की जानकारी नहीं थी। निर्णय की जानकारी दिनांक 05.08.2016 को पटवारी द्वारा बताये जाने पर हुई। दिनांक 09.08.2016 नकल प्राप्त की। दिनांक 10.08.2016 को अपील आरएए न्यायालय टोंक में प्रस्तुत कर दी गई। न्यायालय आरएए टोंक में अपील दिनांक 10.08.2016 को प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है। जानकारी दिनांक से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की जाना पायी जाती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर शुमार माना जाता है। देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलांट द्वारा यह आक्षेप बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में उसे तामील नहीं करवायी गयी थीं के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध नोटिस तारीख पेशी दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रथम बार दिनेश कुमार को दिनांक 04.05.2009 को नोटिस जारी कर दिनांक 06.07.2009 को बुलाया गया था। प्रथम नोटिस में यह बताया गया कि वह बाहर गया है तथा उसके भाई की बच्ची ने यह बात बतायी है और नोटिस उसे(भतीजी) को दिया गया था। उक्त नोटिस पर भतीजी द्वारा हस्ताक्षर अंग्रेजी मे किये गये है। द्वितीय नोटिस उसे दिनांक 20.04.2010 को जारी किया गया था। जिसमें उसे दिनांक 26.04.2010 को उपस्थित होने को कहा गया था। उक्त नोटिस के पुश्त पर यह अंकन है कि उसका बड़ा भाई तोताराम पुत्र हरिनारायण घर पर मिला तथा दिनेश को बाहर कमाने को गया हुआ बताया तथा यह भी बताया कि वे सभी शामिल रहते है। तोताराम द्वारा हस्ताक्षर किये गये। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दिनेश कुमार दोनो नोटिस अदायगी के समय घर पर नहीं था तथा परिवार के वयस्क सदस्य बड़े भाई एवं बड़े भाई की पुत्री द्वारा नोटिस प्राप्त किये गये क्योंकि उस समय दिनेश खुद बाहर कमाने के लिये गया हुआ था। परिवार के वयस्क सदस्य को तामील करवायी गयी जो उचित है।

तहसीलदार निवाईं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 14(4) भूमि आवंटन नियम 1970 का अवलोकन किया गया। जिसमें आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने और कब्जा नहीं करने बाबत कथन किये है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 28/9 निर्णय दिनांक 09.06.2010 का अवलोकन किया गया। मुख्य रूप से उनके द्वारा यह माना गया कि आवंटी के द्वारा आवंटन के पश्चात प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत रकबा पर एवं द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भूमि पर काश्त नहीं की गई है। इसी आधार पर उनके द्वारा आवंटन निरस्त किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी संवत 2041–44 का अवलोकन किया गया। उक्त वर्षों में खसरा गिरदावरी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर कोई काश्त करना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:56 IST
Reason: SelfAttested

टोंक द्वारा किये गये निर्णय दिनांक 09.06.2010 में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट ने आवंटन शर्त का स्पष्ट रूप से उल्लघंन किया है। अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर टोंक प्रकरण संख्या 28/9 दिनांक 09.06.2010 अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 धारा 14(4) यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 16.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:16:56 IST
Reason: SelfAttested